कृपया जारी करें
3/2/2016

जारी किया
4/2/2016

Government of India
Ministry of Communications and IT
Department of Telecommunications
Wireless Monitoring Organisation
E-Wing, 3rd Floor, Pushpa Bhawan, Madangir Road,
New Delhi -110062

No. M-31080/16/2015-MWD 448

Dated:3rd February, 2016

Notice

Subject: Harmful interference caused to radio links of licensed spectrum in 2300-2400 MHz due to unauthorized emission by Internet service Providers (ISPs)/ Others- regarding.

Complaints are being received from time to time about the interference/ unauthorized use of spectrum in 2300-2400 frequency band. During the process of monitoring by Wireless Monitoring Organisation (WMO), it has been observed that some of the ISPs/ other users are radiating in part of 2300-2400 MHz frequency band, which has been allotted to Telecom Service Providers (TSPs) through auction held in year 2010.

2. All concerned are hereby informed that possession of wireless equipment/ transmission of radio waves without holding a valid license from WPC Wing of DOT is in contravention of the Indian Telegraph Act 1885, Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 and subsequent rules/orders. Violation of these Acts and rules shall attract penal action as provided in above statutes.

3. In view of the above, all concerned are hereby directed to stop immediately any unauthorized operations at their end as well as to take necessary steps to mitigate spurious emissions generated by their equipments operating in de-licensed frequency band of 2400-2483.5 MHz, failing which strict action against defaulters shall be taken as per law.

This issues with the approval of Secretary (Telecom).

(R.P.S.Prabhakar)
Engineer-in-Charge

To,
All concerned .

Copy to:

1. Wireless Advisor, WPC Wing, 6th Floor, Sanchar Bhavan, 20-Ashoka Road, New Delhi 110001 for information please.

2. Sr. DWA (ASMS), WPC Wing, 6th Floor, Sanchar Bhavan, 20-Ashoka Road, New Delhi 110001 with a request to upload on the website of WPC Wing/ DoT website.

o/c

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
दूरसंचार विभाग,बेतार अनुश्रवण संघटन,
ई-ब्लॉक ,तीसरी मंजिल,पुष्पाभवन,मदनगीर मार्ग,नई दिल्ली -110062

संख्या एम-31080/16/2015-एमडब्ल्युडी दिनांक 03 फरवरी,2016

नोटिस

विषय: इन्टरनेट सेवा प्रयोक्ताओं (आईएसपी)/अन्य के द्वारा अनुज्ञापित स्पैक्ट्रम 2300-2400 मैगा हर्टज के रेडियो लिंकों से अप्राधिकृत उत्सर्जन से उत्पन्न हानिकारक व्यतिकरण से संबंधित ।

स्पैक्ट्रम 2300-2400 आवृति बैंड में व्यतिकरण / अप्राधिकृत उपयोग से संबंधित समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । बेतार अनुश्रवण संघटन मुख्यालय (डब्ल्यु.एम.ओ) द्वारा अनुश्रवण प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया है कि कुछ आईएसपी /अन्य प्रयोक्ता 2300-2400 आवृत्ति बैंड के कुछ भाग में उत्सर्जन कर रहें हैं,जो कि 2010 में नीलामी के द्वारा दूर संचार सेवा प्रयोक्ताओं (टीएसपी) को आवंटित किया गया है ।

2. सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दूर संचार विभाग के बेतार आयोजना समन्वय स्कन्ध के वैध अनुज्ञप्ति के बिना बेतार उपकरण को रखना / रेडियों तरंगों का पारेषण, भारतीय तार अधिनियम,1885,भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और अनुवर्ती नियमों/आदेशों का उल्लंघन है । इन अधिनियमों और नियमों का उल्लंघन करने पर उपरोक्त अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

3. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए,सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है वे अपनी ओर से अनधिकृत परिचालनों को तत्काल रोकने के साथ ही 2400-2483.5 मैगा हर्टज अनुज्ञप्ति विहीन आवृत्ति बैंड में उनके द्वारा संचालित उपस्करों से उत्पन्न अप्रामाणिक उत्सर्जन को कम करने लिए आवश्यक कदम उठाए, ऐसा न करने पर चूककर्ता के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

इसे सचिव (दूरसंचार)के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(आर.पी.एस.प्रभाकर)
प्रभारी इंजीनियर

सेवा में,
सभी संबंधित ।

प्रतिलिपि:
1. बेतार सलाहकार,बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध,छठा तल,संचार भवन,20 अशोक रोड़,नई दिल्ली -110001 को कृपया सूचनार्थ ।
2. वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार,बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध (बे.आ.सं.स्कंध) छठा तल,संचार भवन,20 अशोक रोड़,नई दिल्ली -110001 को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे बे.आ.सं.स्कंध /दूर संचार विभाग की वेब साईट पर अपलोड करें ।